एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर की अध्यक्षता में दि0 20.12.2018 को सम्पन्न वाणिज्य कर बकाया वसूली बैठक का कार्यवृत्त :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह नवम्बर, 2018 में बकाया वसूली की प्रगति की समीक्षा हेतु समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) वाणिज्य कर, उ0प्र0 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की उपस्थिति विवरण पत्रावली पर रक्षित है जिसमें डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) वाणिज्य कर लखनऊ अस्वस्थ्य होने के कारण प्रतिभाग नहीं कर पाये।

(कार्यवाही सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर के निर्देश :–

1. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर द्वारा शुद्ध वसूली योग्य बकाया धनराशि की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराने, व्यास सेन्ट्रल पोर्टल, बकाया प्रारूपों एवं आर–27 में प्रदर्शित ऑकड़ों में हो रही विभिन्नता में एकरूपता को सुदृढ़ करने, आर0सी0 वार अनुश्रवण किये जाने के साथ ही संयुक्त जांच अपलेखन, उत्पीड़न कार्यवाही करते हुए वसूली में वृद्धि लाने के निर्देश उपस्थित सभी कर वसूली अधिकारियों को दिये।
2. बकाया वसूली में सतत अभिवृद्धि हेतु डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) अधिकारियों से टीम बनाकर वसूली कराने के निर्देश दिये गये। कर वसूली अधिकारी स्वयं भी प्रत्येक सप्ताह में बड़ी बकाया की वसूली हेतु क्षेत्र में जाये एवं अधिकाधिक वसूली सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार राजकीय वाहन/फोर्स जोनल एडीशनल कमिश्नर से सम्पर्क करके प्राप्त कर लें।
3. बकाया प्रारूपों में दिखायी जा रही वसूली धनराशि व कोषागार में जमा धनराशि में अन्तर का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये। सत्यापित ऑकड़े ही प्रेषित किये जाय। डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) कोषवानी में दर्शित वसूली का प्रतिदिन अनुश्रवण करें।

1. **लक्ष्यपूर्ति (गत वर्ष के सापेक्ष)**– 20 विभागीय संग्रह इकाईयों द्वारा माह नवम्बर, 2018 में वसूली रू0 7083.55 लाख की गयी जो गत वर्ष रू0 10313.53 लाख के सापेक्ष –31.32 प्रतिशत कम है, जबकि शुद्ध वसूली योग्य पर्याप्त धनराशि दर्शित हो रही है। विभागीय जनपदों की संग्रह इकाइयों में गत वर्ष से वसूली की समीक्षा करने पर पाया गया कि गत वर्ष के इसी माह में वसूली की तुलना में क्रमशः झांसी –97.05, वाराणसी –93.34, सहारनपुर –73.38, इटावा –67.64, मुरादाबाद –67.04, मेरठ –63.45, कानपुर –62.83, गाजियाबाद –61.33, लखनऊ –53.84 प्रतिशत से कम वसूली की गयी है। जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अवशेष आगामी माहों में वसूली हेतु नियोजित नीति बनाकर अधिकाधिक वसूली करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर)

संयुक्त जांच – माह नवम्बर, 2018 की समीक्षा पर पाया गया कि माह में कानपुर के 2 मामले, बरेली के 2 मामले, मेरठ के 4 मामलें, मुरादाबाद 75 मामलें में संयुक्त जांच की कार्यवाही की गयी है। माह के अन्त में अवशेष संग्रह इकाईयों की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	संयुक्त जांच के मामलों की संख्या	निहित धनराशि लाख रू0 में
1	नोएडा	202	3303.07
2	गाजियाबाद	1045	25970.02
3	कानपुर	2202	25799.45
4	लखनऊ	211	560.94
5	आगरा	143	287.62
6	प्रयागराज	41	1964.17
7	बरेली	466	2783.61
8	वाराणसी	32	311.16
9	मेरठ	2824	17255.39
10	मुरादाबाद	1505	8154.80
11	झांसी	113	860.30

12	गोरखपुर	264	1060.89
13	बुलन्दशहर	14	73.33
14	अलीगढ़	16	56.85
15	सहारनपुर	9	11.83
16	बिजनौर	479	501.32
17	इटावा	26	162.33

एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0) महोदया द्वारा संयुक्त जांच हेतु दर्शित हो रहे लम्बित अवशेष मामलों में संग्रह इकाईयों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि संयुक्त जांच हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर द्वारा स्थापित कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करके मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित करें व टीमों के गठन तथा किये गये कार्य से संग्रह अनुभाग मुख्यालय को दि0 06.01.2019 तक मय सूची सहित अवगत करायें। जिन सम्भागों में संयुक्त जांच हेतु टीमों का गठन नहीं किया गया हो, तत्काल टीमों (कमेटी) का गठन कराया जाय।

अपलेखन योग्य बकाया— माह नवम्बर, 2018 में अपलेखन की समीक्षा करते समय पाया गया कि माह में कानपुर, बरेली, मेरठ संग्रह इकाईयों द्वारा अपलेखन के मामलों का निस्तारण किया गया है। नोएडा, लखनऊ, अयोध्या, सोनभद्र, वाराणसी, गोरखपुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, सहारनपुर, इटावा द्वारा शून्य मामले दिखाये जा रहे हैं। माह के अन्त में अवशेष मामलों की सूचना निम्नवत है :—

क्र0सं0	जनपद का नाम	अपलेखन योग्य बकाया मामलों की संख्या	निहित धनराशि लाख रू0 में
1	गाजियाबाद	29	2888.96
2	कानपुर	5856	14269.80
3	आगरा	279	3820.76
4	प्रयागराज	03	436.86
5	बरेली	252	611.67
6	मेरठ	392	1857.37
7	मुरादाबाद	125	331.79
8	बिजनौर	1764	894.32
9	झांसी	755	6006.90

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) महोदया द्वारा उक्त दर्शित अवशेष मामलों की विस्तृत सूची दिनांक **06.01.2019 तक संग्रह अनुभाग** को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

1. बकाया से सम्बन्धित जारी नये प्रारूपों यथा प्रारूप—1, प्रारूप—2 तथा प्रारूप—3 का खण्डवार अंकन शुद्धतापूर्ण ढंग से कराया जाय। जिसकी मानीटरिंग जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर द्वारा अनवरत की जाय जिससे त्रुटि की सम्भावना नगण्य रहे।
2. आर—3, आर—27 अमीनवार डिमाण्ड रजिस्टर व आर—6 रजिस्टरों का अनवरत अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि ऑकड़ों में समरूपता बनी रहे।
3. डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) खण्ड कार्यालयों में डिमाण्ड रजिस्टर, साइटेशन, कुर्की व नीलामी इत्यादि कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अमीनों/पर्यवेक्षकों की साप्ताहिक रूप से निरीक्षण /अनुश्रवण करें व तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराने के निर्देश दिये गये।
4. 11 सूत्रीय व 22 सूत्रीय में अपलेखन हेतु लम्बित मामले में निहित धनराशि जब तक अपलेखित न हो जाय, तब बकाया मानकर वसूली की कार्यवाही की जाय।

5. बकाया वसूली हेतु अन्य प्रदेशों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली की समीक्षा हेतु नामित जोनल एडीशनल कमिश्नर से वसूली की अद्यतन स्थिति व अन्य प्रान्तों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों की प्रान्तवार सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

संग्रह इकाईयों द्वारा संगत माह नवम्बर, 2018 में उत्पीड़न की कार्यवाही के अन्तर्गत 1679 बैंक अटैचमेन्ट, 41 गिरफ्तारी, 00 नीलामी व 53 कुर्की करके कुल रू0 2856.00 लाख की धनराशि वसूल की गयी है। इसी प्रकार प्रगति आगे रखने के निर्देश दिये जाते हैं।

उपर्युक्त निर्देशों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या 15 दिन में मुख्यालय प्रेषित करें।

(गुलाब चन्द्र) 31.12.18
ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

1117/31-12-18

पृ0प0 संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) वाणिज्य कर, मुख्यालय को, कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/कर वसूली) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।